

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

सत्र प्रकरण क्र.-338/2015

संस्थित दिनांक 19.10.15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ,
तहसील गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

बनाम

1. मोहित सिंह कुशवाह उर्फ अमित आयु 23 वर्ष
.....उप0 अभियुक्त
2. रोहित सिंह कुशवाहफौत अभियुक्त
पुत्रगण विजय सिंह कुशवाह निवासीगण बसन्ती
वर्मा का मकान चौहान प्याऊ ठाटीपुर जिला
ग्वालियर म0प्र0

(न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के
मूल आपराधिक प्रकरण क्र. 760/15/गोहद/भिण्ड में पारित उपार्षण
आदेश दि0 14.10.2015 से उत्पन्न सत्र प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्त मोहित सिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 22.03.18 को घोषित)

1. अभियुक्त मोहित के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-307 सपठित 34 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उसने दिनांक 30 एवं 31.01.14 को रात्रि 08-09 बजे भडोरा, धूमरी के बीच मौ मेहगांव रोड अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड में सहअभियुक्त रोहित के साथ मिलकर अशोक की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्त रोहित या मोहित अथवा दोनों ने अशोक सिंह पर अगन्यायुध से फायर कर उसे उपहति कारित की, जिससे कि अशोक सिंह की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त

रोहित या मोहित या दोनों हत्या के दोषी होते।

2. अभियोजन के अनुसार अशोक सिंह ने रोहित एवं मोहित को कुछ समय पहले 60 हजार रूपए उधार दिए थे, जो कि अभियुक्तगण वापिस नहीं कर रहे थे। दिनांक 30.01.14 को रात्रि लगभग 08:00 बजे अशोक सिंह के घर स्थित लोहार पुरा मौ पर रोहित एवं मोहित आए और फरियादी से कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, उसे ठीक कराना है, जिस पर से फरियादी अशोक सिंह उनके साथ मेहगांव मौ रोड पर भडेरा, धूमरी के बीच पहुंचा, जहां एक स्कोर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें निर्मला सिंह राजावत एवं अन्य अज्ञात दो अभियुक्तगण बैठे थे। रोहित एवं मोहित राजावत ने अशोक सिंह की मारपीट की, जब वह भागा तो इनमें से किसी ने पीछे से जान से मारने की नियत से उसके ऊपर गोली चलाई, जो कि उसके दाहिने पैर के पुट्टे में लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अभियुक्तगण एवं उनके साथ आए अन्य व्यक्ति मेहगांव तरफ भाग गए। रोहित एवं मोहित ने अशोक सिंह को जान से मारने की नियत से गोली मारी अशोक सिंह ने जब अपने भाई पदम सिंह परिहार को फोन से घटना की जानकारी दी, तब फरियादी का भाई पदम सिंह वहां पहुंच गया और अशोक सिंह को लेकर थाना मौ गया। अशोक सिंह के चोट होने से पदम सिंह के द्वारा प्र0पी0-05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई अभियुक्त रोहित एवं मोहित के विरुद्ध अपराध क्रमांक 42/14 अंतर्गत धारा-323, 307 एवं 34 भा0दं0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3. दौराने अनुसंधान अशोक सिंह का प्र0डी0-02 का तथा पदम सिंह का प्र0पी0-07 का पुलिस कथन दिनांक 30.01.14 को लिया गया। मुलायम सिंह का कथन लिया गया है। उसी दिनांक 30.01.14 को सी.एच.सी. मौ में अशोक सिंह का मेडीकल परीक्षण कराया गया। जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-12 है। सी.एच.सी. मौ में दिनांक 30.01.14 को ही पुलिस मौ के द्वारा आहत अशोक से एक स्लेटी रंग का लोअर जिसमें खून लगा था, पीले रंग की साफी जिसमें खून लगा था, को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया। दिनांक 07.02.14 को पटवारी प्रियंका भदौरिया के द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0-01 बनाया गया। दिनांक 10.07.15 को अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया गया,

उसका प्र0पी0-04 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसमें उसने कट्टा अपने भाई रोहित के पास होना बताया। दिनांक 08.09.15 को अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-08 बनाया गया। रोहित के द्वारा उसी दिनांक को पुलिस को अपना मेमोरेण्डम कथन देते हुए कट्टा जप्त कराया जाना बताया है। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-09 है। रोहित के आधिपत्य से एक 315 बोर का कट्टा व दो जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया।

4. जप्तशुदा कट्टे को एफ.एस.एल. जांच हेतु पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से सागर भेजा गया, जिसका ड्राफ्ट प्र0पी0-11 है। जप्तशुदा लोअर एवं साफी को जांच हेतु एफ.एस.एल. सागर पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड के ड्राफ्ट के द्वारा भेजा गया, जिनके संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0-13 लगायत प्र0पी0-15 प्राप्त हुई। प्र0पी0-13 की एफ.एस.एल. रिपोर्ट में लोअर का छिद्र, गनशॉट छिद्र होना बताया गया, जो कि लेडकॉर युक्त कॉपर बुलेट के लगने से बना होना बताया गया तथा फायर नजदीक से होने का अभिमत दिया गया। प्र0पी0-14 की रिपोर्ट के अनुसार लोअर आर्टीकल ए पर तथा साफी आर्टीकल बी पर रक्त होना पाया गया। लोअर आर्टीकल ए पर मानव रक्त होना पाया गया प्र0पी0-15 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श ए-1 की पिस्टल एवं जप्तशुदा दोनों कारतूस एल.आर.-01 एवं एल.आर.-02 चालू हालत में होने का अभिमत दिया गया तथा यह अभिमत दिया गया कि पिस्टल से प्राणघातक चोटें पहुंचाई जा सकती हैं और दोनों कारतूसों को पिस्टल ए-1 से चलाया जा सकता है। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाते हुए धारा-25 एवं 27 आयुध अधिनियम का इजाफा करते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उपार्पित होकर यह प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की अभियुक्त मोहित का परीक्षण किए जाने पर उसका कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में अभियुक्त मोहित ब0सा0-01 ने स्वयं का तथा अपनी बहिन अंजली कुशवाह ब0सा0-02 का परीक्षण कराया है।

6. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि दौरान अनुसंधान अभियुक्त रोहित की फौती रिपोर्ट प्राप्त होने से अभियुक्त रोहित को फौत मान्य करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। इस प्रकरण का निर्णय अभियुक्त मोहित के संबंध में किया जा रहा है।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 30 एवं 31.01.14 को रात्रि 08-10 बजे के लगभग भडेरा घमूरी के बीच मेहगांव रोड अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड में अभियुक्त मोहित ने सह अभियुक्त रोहित के साथ मिलकर फरियादी अशोक सिंह की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने अग्न्यायुध कट्टे से अशोक सिंह पर फायर कर उसे उपहति कारित की, जिससे कि यदि अशोक सिंह की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण या उनमें से कोई हत्या के दोषी होते ?
2. दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 :-

7. डॉ० आर० विमलेश अ०सा०-11 ने दिनांक 30.01.14 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए, थाना मौ के द्वारा भेजे जाने पर आहत अशोक सिंह पुत्र शंकर सिंह आयु 24 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण करने पर निम्न प्रकार से चोटें पाई हैं-

चोट क्रमांक-01:- आग्नेय शस्त्र का घाव जिसके घाव जो आहत के दाहिने जांघ के मध्य के ऊपरी हिस्से में पीछे से बाहर की ओर था, उक्त घाव के किनारे अन्दर की ओर थे और घाव के किनारे काले थे। घाव का आकार अण्डाकार था। यह घाव आग्नेय शस्त्र द्वारा आया हुआ था। घाव का आकार 03 से०मी० × 2.6 से०मी० × ट्रेक तक गहरा और घाव का डायरेक्शन ऊपर से हल्का निचली ओर एवं आगे की ओर था। घाव का डायरेक्शन पीछे की ओर से आगे की ओर का था और घाव आर-पार था।

चोट क्रमांक-2:- निकासी घाव दाहिनी जांघ के बाहर की ओर आगे के हिस्से में था, निकासी घाव का आकार 2.6 × 2.5 से०मी० था और जिसके

किनारे बाहर की ओर थे। यह घाव आग्नेय शस्त्र द्वारा पहुंचाया गया था। आहत का लोअर रक्त रंजित होकर घाव के ऊपर जला हुआ था जो पुलिस द्वारा जप्त किया गया था।

8. डॉ० आर० विमलेश अ०सा०-11 ने यह भी बताया है कि आहत को अत्याधिक चोट होने से उपचार हेतु जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर के लिए रैफर किया गया था, उनकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी०-12 होना बताई है। इस प्रकार डॉ० आर० विमलेश अ०सा०-11 ने प्रवेश घाव दाहिनी जांघ के मध्य ऊपरी हिस्से में पीछे की ओर होना पाया है। जिसका डायरेक्शन ऊपर से हल्का नीचे निचली ओर एवं पीछे से आगे की ओर तथा आर-पार बताया है। जांघ के बाहर की ओर अर्थात् आगे के हिस्से में निकासी घाव होना बताया है। उक्त घाव आग्नेय शस्त्र के द्वारा पहुंचाया जाना बताया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आहत अशोक सिंह की दाहिनी जांघ पर अगन्यायुध से फायर करने पर आई चोट होना पाया है और उक्त घाव को आर-पार होना पाया है।

9. प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि आहत को पहुंचाई गई चोट लगभग तीन इंच की दूरी से पहुंचाई गई होगी, आहत का जो लोअर जला हुआ पाया था, उसके कारण यह दूरी तीन इंच रही होगी। यदि आहत को तीन इंच से अधिक दूरी से चोट पहुंचाई जाती तो आहत के शरीर पर पहने हुए लोअर का कपड़ा जलता नहीं, केवल बुलेट (गोली) का छेद होता। डॉ० आर.विमलेश अ०सा०-11 ने मुख्यपरीक्षण में यह भी बताया है कि आहत का लोअर रक्त रंजित होकर घाव के ऊपर जला हुआ था, जो पुलिस के द्वारा जप्त किया गया था।

10. कुशलपाल सिंह भदौरिया अ०सा०-06 ने एक स्लेटी रंग का लोअर एवं पीले रंग की साफ़ी जिन पर खून लगा हुआ था, फरियादी अशोक सिंह के द्वारा पेश करने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-02 बनाया जाना बताया है। शेषदेवराम भगत अ०सा०-07 ने दिनांक 30.01.14 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए तथा गुरुदास सोही अ०सा०-08 ने आरक्षक के पद के पदस्थ रहते हुए टी.आई. कुशल पाल सिंह भदौरिया के द्वारा फरियादी अशोक से एक स्लेटी रंग का लोअर जिसमें खून लगा था तथा पीले रंग की साफ़ी जिसमें खून लगा था, जप्त कर जप्ती पंचनामा

प्र0पी0-02 बनाया जाना बताया है। फरियादी अशोक सिंह अ0सा0-03 ने भी पुलिस के द्वारा उससे लोअर जप्त कर जप्ती जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया जाना बताया है।

11. इस संबंध में प्र0पी0-13 एवं 14 की एफ.एस.एल. सागर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार उक्त अशोक सिंह के लोअर आर्टिकल ए जिसे प्रदर्श सी-1 से प्रदर्शित किया गया है, उसमें गनशॉट छिद्र होना पाया गया है, जो कि किसी बुलेट के लगने से बने होने का अभिमत दिया गया है। उस छिद्र के किनारों के आस पास गनपाउडर मार्क्स की उपस्थिति को देखते हुए, उक्त फायर नजदीक से किया गया है। चूंकि उक्त लोअर के छिद्र के किनारों पर लेड धातु और कॉपर धातु की उपस्थिति पाई गई है तथा छिद्र के किनारों के आस पास नाइट्राइट की उपस्थिति पाई गई है।
12. डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0-11 ने लोअर रक्त रंजित होकर घाव के ऊपर जला हुआ घाव है, जिससे कि प्रथमतः यह प्रकट होता है कि लोअर अशोक सिंह का होने से घटना के संबंध में उक्त लोअर अशोक सिंह पहने था और फायर करने से उसकी जांघ में उक्त घाव आया है और लोअर में छिद्र हो गया है तथा द्वितीयतः यह फायर नजदीक से किया गया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0-11 के अनुसार आहत् को पहुंचाई गई उक्त चोट आर्थात् उक्त किया गया फायर तीन इंच की दूरी से किया गया होगा। यदि तीन इंच से अधिक की दूरी से चोट पहुंचाई जाती तो आहत् के शरीर पर पहने हुए लोअर का कपडा जलता नहीं। प्र0पी0-14 की एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार उक्त लोअर आर्टिकल-ए तथा साफी आर्टिकल बी पर रक्त पाया गया है तथा लोअर आर्टिकल ए पर मानव रक्त पाया गया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि फायर करने से अशोक सिंह की जांघ पर उक्त घाव आया है। जिसका खून निकलकर लोअर व साफी पर लगा है। अब देखना यह है कि उक्त फायर अभियुक्तगण या उनमें से किसके द्वारा किया गया तथा उक्त फायर अशोक सिंह की हत्या कारित करने के लिए किया गया ?
13. मुलायम अ0सा0-04 ने यह बताया है कि घटना के करीब एक साल पहले अभियुक्त और उनकी मां निर्मला देवी का फरियादी अशोक सिंह से लेनदेन था, अशोक सिंह ने निर्मला देवी को दो बार तीस-तीस हजार रुपए

उधार दिए थे, उसके बाद अभियुक्तगण और उनकी मां निर्मला देवी उसके गांव गता में आए थे तब इस साक्षी ने पूछा था कि इस समय कहां जा रहे हो तो अभियुक्तगण व उसकी मां ने कहा था कि वे मौ जा रहे हैं, उस समय अभियुक्तगण के साथ उनका मामा पप्पू भी था। उक्त चारों लोग उसके घर से मोटरसाइकिल से मौ की तरफ चले गए। इस प्रकार इस साक्षी ने पूर्व में उभयपक्ष के मध्य लेनदेन होना और अभियुक्तगण और उनकी मां तथा अन्य पप्पू का उसके घर से मौ तरफ जाना बताया है।

14. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह बताया है कि दिनांक 31.01.14 को रात्रि करीब 09:00 बजे हाजिर अदालत अभियुक्तगण उसके घर आए थे और उससे कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। उसे ठीक कराना है। उसके बाद वे अभियुक्तगण के साथ भडैरा धूमरी के बीच पहुंचे तो वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। वहां पर अभियुक्तगण रोहित व मोहित उसके साथ गाली गलोज व झगड़ा करने लगे। उसके बाद अभियुक्तगण की मां निर्मला देवी उक्त गाड़ी से उतर आई और गाली देती हुई बोली की साले हरामजादे को छोड़ना नहीं, उसने यह भी बताया कि वह वहां से भागा तो अभियुक्तगण भी पीछे भागे और पीछे से अभियुक्तगण ने फायर किया। अभियुक्तगण ने तीन फायर किए जिसमें एक गोली उसके दाहिनी जांघ के पुट्टे पर लगी थी, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा था। डंफर की लाइट देखकर अभियुक्तगण वहां से भाग गये थे।

15. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह भी बताया है कि उसने वहां से थोड़ा आगे चलकर पदम सिंह को फोन करके घटना के बारे में बताया, फिर पदम सिंह मौके पर आ गया और उसे लेकर थाना पर आ गया था। वह उस समय चलने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसके भाई पदम सिंह ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल मौ भेजा था। पदम सिंह अ0सा0-05 ने यह बताया है कि वह हाजिर अदालत अभियुक्तगण जो जानता है और अशोक उसका सगा छोटा भाई है। उसके भाई अशोक का उसके मोबाइल पर फोन आया कि रोहित व मोहित उनकी चार पहिया गाड़ी खराब हो जाने पर गाड़ी सुधरवाने हेतु ले गए और उसके साथ मारपीट की और जब अशोक सिंह ने वहां से भागने की कोशिश की तो रोहित व मोहित ने पीछे से पुट्टे पर गोली मारी और अभियुक्तगण भाग गए।

16. पदम सिंह अ0सा0-05 ने यह भी बताया है कि जब वह वहां पर पहुंचा तो उसका भाई अशोक सड़क के किनारे पड़ा था, वह अशोक को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाया और उसको लेकर थाना मौ पहुँचा जिस पर से प्र0पी0-05 की रिपोर्ट लिखाई थी। उसने यह भी बताया है कि पुलिस घटनास्थल पर गई थी, वहां पर उसकी निशांदेही पर प्र0पी0-06 का नक्शामौका बनाया था। इस बिन्दु पर इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि अशोक ने उसे यह बताया था कि घटना के कुछ समय पहले अभियुक्तगण अशोक से 60 हजार रुपए उधार ले गए थे, जिन्हें अभियुक्तगण वापिस नहीं कर रहे थे, इसी बात पर अभियुक्तगण ने यह घटना कारित की है और यह बात प्र0पी0-05 की रिपोर्ट व प्र0पी0-07 के बयान में लिखाई थी। कुशलपाल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने पदम सिंह के लिखाए जाने पर प्र0पी0-05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना और अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करना बताया है।

17. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने पैरा-07 एवं 08 में यह बताया है कि उनके व अभियुक्तगण के मध्य साठ हजार रुपए का लेनदेन हुआ था तथा दो तीस तीस हजार रुपए उसने दिए थे। पहली बार निर्मला देवी ने तीस हजार रुपए उसके घर पर मामा मुलायम सिंह के सामने लिए थे तथा दूसरी बार उसने अपने घर पर तीस हजार रुपए निर्मला देवी को दिए थे। उसने यह भी बताया है कि तीस हजार रुपए घटना के एक साल पहले लिए थे तथा पहली व दूसरी किस्त में चार माह का अंतराल होगा। परंतु वहीं मुलायम अ0सा0-04 का यह कहना है कि दूसरी बार तीस हजार रुपए एक महीने बाद लिए थे।

18. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-09 में यह बताया है कि उसके द्वारा साठ हजार रुपए की मांग निर्मला देवी से नवंबर 2013 में अभियुक्तगण के घर पर की थी। दूसरी बार 15 दिन बाद रुपयों की मांग अभियुक्तगण के घर पर जाकर की थी। उसके बाद पुनः 20-22 दिन बाद अभियुक्तगण के घर आया और रुपए की मांग की थी। उक्त मांग घटना के दो तीन महीने पहले की गई थी। परंतु मुलायम अ0सा0-04 का पैरा-03 में यह कहना है कि अशोक ने रुपए मौ में ही मांगे थे। इस प्रकार फरियादी

अशोक सिंह अ0सा0-03 का आचरण यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा सही तथ्यों को नहीं बताया जा रहा। अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह स्वीकार किया है कि साठ हजार रूपए उधार लेने की कोई लिखापढी नहीं है।

19. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह तथ्य है कि पदम सिंह के द्वारा पूछने पर अशोक ने उसे बताया "रोहित और मोहित निवासी ग्वालियर वाले उसे यह कहकर कि उनकी गाडी मौ मेहगांव रोड के बीच में खराब हो गई है। अपने मोटरसाइकिल से लेकर आए थे और यहां आकर मारपीट शुरू कर दी। मैं भागा तो इनमें से किसी ने जान से मारने की गरज से गोली चलाई जो मेरे दाहिने पैर के पुट्टे में लगी और मैं घायल होकर गिर गया तभी मौ तरफ से कुछ डंपर आते देखकर रोहित मोहित मेहगांव तरफ भाग गए मैंने इन्हें कुछ समय पहले साठ हजार रूपए उधार दिए थे जो ये लोग वापिस नहीं कर रहे थे। इसी बात पर से इन्होंने आज यह घटना की है।"

20. जबकि अशोक सिंह अ0सा0-03 ने मुख्यपरीक्षण में पैरा-02 में यह बताया है कि वह बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसके भाई पदम सिंह ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। प्रतिपरीक्षण में पैरा-12 में उसने यह बताया है कि उसने मोबाइल से घटना की बात बताई थी, परंतु जब उसने अपने भाई को घटनास्थल पर बुलाया था तब से लेकर मौ थाने आने तक उसकी उसके भाई अर्थात् पदम सिंह से बातचीत नहीं हुई क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने यह भी बताया है कि अस्पताल मौ में उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। पदम सिंह अ0सा0-05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में ऐसा नहीं बताया है कि घटनास्थल पर पहुंचने पर अशोक सिंह ने उसे उपरोक्त घटना बताई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तत्समय अशोक सिंह बोलने की स्थिति में और घटना बताने की स्थिति में नहीं था।

21. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह बताया है कि अभियुक्तगण रोहित एवं मोहित के द्वारा कट्टे से फायर किया गया था। परंतु यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति औसत नजदीक से पीछे से फायर करे और आहत उसे देख ही न पाए। इस मामले में अभियोजन के

अनुसार फरियादी अशोक के द्वारा घटना के तुरंत बाद मोबाइल से फोन करके अपने भाई पदम सिंह को घटना के बारे में सूचना देना बताया गया है। पदम सिंह अ0सा0-05 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-09 में यह बताया है कि पुलिस ने दोनों मोबाइलों को अर्थात् अशोक सिंह एवं पदम सिंह के मोबाइल को जप्त कर लिया था। विवेचना अधिकारी कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 या शेर सिंह अ0सा0-10 ने ऐसा नहीं बताया है कि मोबाइल जप्त हुए थे। इस मामले में अभियोजन के अनुसार न तो दोनों के मोबाइल जप्त हुए हैं और न ही कॉल डिटेल् प्रस्तुत की गई है कि वास्तव में फोन किस स्थान से किया गया और किस स्थान पर अटेंड किया गया अर्थात् फोन किया ही नहीं गया।

22. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह बताया है कि रात्रि करीब 09:00 बजे मोटरसाइकिल से उसके घर पर आए थे और उससे कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है उसे ठीक कराना है। अभियोजन के अनुसार एवं साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी गाड़ी थी जिसका खराब होना बताया गया था। यदि वह स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में उल्लेख कर रहे थे तो यह स्वाभाविक नहीं है कि सभी लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार हों और खराब होने पर मोटरसाइकिल से किसी को बुलाने जावें क्योंकि तत्समय मोटरसाइकिल की उपलब्धता तत्काल नहीं हो सकती है। इस संबंध में अशोक सिंह अ0सा0-03 ने पैरा-10 में यह बताया है कि जिस डिस्कवर मोटरसाइकिल से अभियुक्तगण आए थे उसका नंबर नहीं बता सकता। पैरा-11 में उसने यह बताया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी का रंग व नंबर कैसा था, रात होने से उसे पता नहीं है।

23. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि अशोक सिंह अ0सा0-03 ने पैरा-10 में यह बताया है कि उसे गाड़ियों को सुधारने का थोड़ा बहुत अनुभव है। परंतु पदम सिंह अ0सा0-05 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह बताया है कि अशोक ने वाहन मैकेनिकल का कोई काम नहीं किया है। यह भी बताया है कि अशोक के पास चार पहिया वाहन नहीं है और उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। इस प्रकार जहां कि अशोक के पास कोई वाहन नहीं था और उसने मैकेनिकल का कोई काम भी नहीं किया है तब यह पूर्णतः अस्वाभाविक है और अप्राकृतिक है कि वाहन का काम न जानने के

बावजूद भी कोई वाहन सुधारने हेतु उसे ले जावे। अशोक अ0सा0-03 ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण के साथ मौ में गाडी के मैकेनिक को साथ लेकर नहीं गया था। यह भी स्वीकार किया है कि अपने साथ गाडी के टूल्स लेकर भी नहीं गया था। यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि किसी गाडी को सुधारने कोई व्यक्ति जाए और साथ में मैकेनिक या टूल्स लेकर न जाए। जिससे कि अभियोजन घटना एवं अशोक सिंह अ0सा0-03 एवं पदम सिंह अ0सा0-05 के द्वारा बताए गए उपरोक्त घटना के तथ्य और संपूर्ण कहानी संदेहास्पद हो जाती है। जिससे फरियादी पक्ष का आचरण भी प्रकट होता है कि उनके द्वारा सही तथ्य नहीं बताए जा रहे।

24. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 के अनुसार घटना दिनांक 30.01.2014 और 31.01.2014 की रात्रि आठ बजे से नौ बजे की बीच की होना बताई गई है। घटना की रिपोर्ट रात्रि 11:15 पर की गई है। अशोक अ0सा0-03 ने मुख्यपरीक्षण में पैरा-01 में यह बताया है कि अभियुक्तगण 09:00 बजे रात्रि में उसके घर आए थे। प्रतिपरीक्षण में पैरा-10 में उसने यह बताया है कि अभियुक्तगण उसके घर पर करीब पांच मिनट रुके थे, वे तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर गए थे। उसके घर से घटनास्थल करीब चार किलोमीटर की दूरी पर है, वह घटनास्थल पर करीब 8-10 मिनट में पहुंच गया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 09:15 बजे रात्रि में घटनास्थल पर इस साक्षी के अनुसार पहुंचना बताया गया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 के अनुसार 09:00 बजे तक घटना हो चुकी थी। इस प्रकार अशोक सिंह अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 से कतई नहीं हो रही है।

25. पदम सिंह अ0सा0-05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा-05 में यह बताया है कि अशोक ने जब उसे फोने से सूचना दी उस समय वह मौ बाजार में था। उसने यह बताया है कि उस समय कितने बजे थे याद नहीं है परंतु उसने यह बताया है कि शाम का समय था, जिससे कि यह प्रकट होता है कि वह फोन से सूचना के समय को छिपा रहा है। यद्यपि उसने शाम का समय बता दिया है। उसने ऐसा नहीं बताया है कि उस समय रात्रि हो चुकी थी। मौ बाजार शहरी बाजार नहीं है, सामान्यतः जनवरी माह अर्थात् घटना वाले समय में अर्थात् सर्दियों में ऐसे देहाती इलाकों में बाजार

नौ बजे से पूर्व ही बंद हो जाते हैं। अशोक सिंह अ0सा0-03 के अनुसार घटना लगभग 09:15 बजे के बाद हुई है और पदम सिंह अ0सा0-05 के अनुसार लगभग नौ बजे से पूर्व ही अर्थात् शाम के समय उसे घटना की सूचना अशोक के द्वारा दी गई थी। यह स्थिति अपने आप में ही संदेहास्पद हो जाती है कि घटना घटने से पूर्व ही फोन से सूचना कैसे मिल गई। यह संदेह युक्तियुक्त है।

26. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने अनुसार यदि 09:00 बजे के 15 मिनट 15 बाद अर्थात् लगभग 09:15 बजे घटनास्थल पर पहुंचा गया है और तब घटना हुई है एवं कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी को लगभग 10 मिनट में तय किया जा सकता है तब प्रकरण में आई साक्ष्य के अनुसार यह परिस्थिति बनती है कि सवा नौ बजे से साढ़े नौ बजे के मध्य में घटना होकर पदम सिंह अ0सा0-05 को सूचना होती है और वह घटनास्थल पहुंचता है और उसके बाद अशोक को लेकर सीधे थाने जाता है। ऐसी स्थिति में लगभग पौने दस और अधिकतम दस बजे तक दोनों को थाने पहुंचना चाहिए। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 के अनुसार रिपोर्ट रात्रि 11:15 पर की गई है।

27. कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह बताया है कि फरियादी थाने पर रात्रि करीब 11:15 बजे उपस्थित हुआ था। परंतु पदम सिंह अ0सा0-05 के अनुसार समय का हिसाब लगाया जाए तो अधिकतम दस बजे तक पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति भी पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है और जिससे ऐसा प्रकट होता है कि बात कुछ और थी, जिसे किसी और रूप में पेश किया जा रहा है। जिससे कि अशोक अ0सा0-03 का आचरण इस संबंध में भी संदेहास्पद हो जाता है और अभियोजन मामले में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है। अशोक सिंह अ0सा0-03 के बताए गए तथ्यों के अनुसार अनुसार पदम सिंह एवं अशोक सिंह अधिकतम 10 बजे तक थाने पर पहुंच जाने चाहिए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना 8 से 9 बजे के बीच की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 11:15 बजे लिखाई गई है।

28. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 के कॉलम नंबर 08 में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया

है। कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह बताया है कि उसने फरियादी व आहत रिपोर्ट लिखाते समय से विलंब का कारण पूछा था। जिसमें पदम सिंह ने अपने भाई को संभालना बताया था परंतु यह कारण कॉलम नंबर 8 में दर्शित नहीं किया गया है। इस कारण भी मामला निश्चित तौर पर संदेहास्पद होता है और यह संदेह युक्तियुक्त है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 में अपराध क्रमांक में ओवर राइटिंग करते हुए उसे सुधारते हुए "41" किया गया है। जिसमें "1" को ओवर राइटिंग किया गया है जिसे देखने पर ऐसा प्रकट हो रहा है कि पहले अपराध क्रमांक "42" लिखा था, जिसे बाद में "41" किया गया है।

29. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह वहां से भाग तो अभियुक्तगण भी उसके पीछे भागे और पीछे से अभियुक्तगण ने उस पर फायर किए, अभियुक्तगण ने तीन फायर किए जिसमें से एक गोली उसकी दाहिनी जांघ के पुट्टे पर लगी थी। प्रतिपरीक्षण में पैरा-11 में यह बताया है कि दोनों अभियुक्तगण कट्टे लिए थे और दोनों ने उस पर तीन फायर किए थे। परंतु अभियोजन घटना के अनुसार मोहित के पास कट्टा था और मोहित ने कट्टे से फायर किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 में भी किसी एक के द्वारा गोली मारने के तथ्य हैं। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त मोहित से ही कट्टा जप्त हुआ है, रोहित से कोई कट्टा जप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में भी अशोक अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 से नहीं होती है।

30. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि जब अभियुक्तगण के साथ वह बड़ेरा घमूरी के बीच पहुंचा तो वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से अभियुक्तगण की मां निर्मला देवी उक्त गाड़ी से उतर कर आई और गाली देते हुए बोली साले हरामजादे को छोड़ना नहीं है। परंतु अभियोजन मामले के अनुसार निर्मला देवी का नाम कहीं भी नहीं आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 में उक्त बताए गए निर्मला देवी के इस कृत्य का कोई भी उल्लेख नहीं है। अशोक सिंह अ0सा0-03 के द्वारा मुख्यपरीक्षण में पैरा-01 में बताए गए इस तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण की मां निर्मला देवी इस घटना की प्रमुख अभियुक्त

अर्थात् मास्टर माइण्ड हो जाती है जिसकी उत्प्रेरणा से अभियुक्तगण द्वारा तीन फायर करना अशोक सिंह अ0सा0-03 के द्वारा बताया गया है।

31. जिसके बारे में अशोक सिंह अ0सा0-03 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-14 में यह स्पष्ट किया है कि उसने प्र0डी0-01 का कथन देते समय निर्मला देवी का नाम नहीं बताया था, जिसका कारण यह बताया है कि उसके रिश्तेदारों ने कहा था कि निर्मला देवी को रहने दो अर्थात् रिश्तेदारी के दवाब की बवज से निर्मला देवी का नाम नहीं बताया था। जिस प्रकार से निर्मला देवी का नाम को अशोक सिंह अ0सा0-03 छिपना बताता है यही स्थिति अभियुक्तगण की भी हो जाती है। अभियुक्तगण निर्मला देवी के ही पुत्रगण हैं। अशोक सिंह अ0सा0-03 के अनुसार ही निर्मला देवी के द्वारा अपराध के लिए प्रेरित किया गया है। तब ऐसी स्थिति में निर्मला देवी को छोड़ अभियुक्तगण का नाम लेना स्वतः ही संदेह की परिधि में आता है, क्योंकि जिस प्रकार अभियुक्तगण का नाम लिया जा सकता है, उसी प्रकार निर्मला देवी का भी नाम लिया जा सकता है। इसी प्रकार जहां कि निर्मला देवी का नाम छिपाया जा सकता है वही अभियुक्तगण के कृत्य को भी छिपाया जा सकता है। तीन प्रमुख अभियुक्तगण में से दो के नाम बताना और एक का नाम नहीं बताना स्वतः ही इस ओर इंगित करता है कि वास्तव में मामला और अशोक अ0सा0-03 की साक्ष्य पूरी तरह संदेहास्पद है और यह संदेह पूरी तरह युक्तियुक्त है।

32. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 में यह तथ्य है कि जब पदम सिंह अशोक के द्वारा फोन पर सूचना दिए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचा तो अशोक ने अपने दाहिने पुट्टे पर तोलिया बांध रखी थी। अशोक सिंह अ0सा0-03 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-11 में यह बताया है कि उसके भाई अर्थात् पदम सिंह ने उसकी चोट पर आकर साफी बांधी थी, उसका भाई सूचना के करीब 10 मिनट बाद आ गया था और उस दौरान उसके घाव से खून निकलता रहा था। इस प्रकार अशोक सिंह अ0सा0-03 के अनुसार पदम सिंह के आने तक उसका घाव खुला हुआ था और खून बह रहा था तथा पदम सिंह ने आकर साफी बांधी थी। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 में पूर्व से ही तोलिया बंधी होना बताया गया है। इससे भी मामला संदेहास्पद हो जाता है।

33. शेर सिंह अ0सा0-10 ने दिनांक 10.07.2017 को अभियुक्त मोहित सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया जाना बताया है। प्र0पी0-03 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें फरियादी अशोक सिंह गवाह के रूप में है। अशोक सिंह अ0सा0-03 ने मुख्यपरीक्षण में पैरा-02 में यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया था। प्रतिपरीक्षण में पैरा-15 में उसने यह बताया है कि मोहित को ग्वालियर में उसके घर से गिरफ्तार किया था और वह खुद साथ में गया था, उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि मोहित को उसके घर से गिरफ्तार न किया जाकर कहीं अन्य जगह से गिरफ्तार किया हो। वहीं विवेचना अधिकारी शेरसिंह अ0सा0-10 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में इस तथ्य से इनकार किया है कि अभियुक्त मोहित को उन्होंने ठाटीपुर पेट्रोल पंप ग्वालियर से गिरफ्तार नहीं किया था।

34. गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-03 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त मोहित सिंह कुशवाह को थाटीपुर पेट्रोलपंप ग्वालियर से गिरफ्तार करना दिखाया गया है। जिस पर अशोक सिंह अ0सा0-03 ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उसने प्रतिपरीक्षण में पैरा-15 में यह भी बताया है कि मोहित से पूछताद की थी, उस पर उसके हस्ताक्षर मौ थाने पर ही कराए थे। उसने यह भी बताया है कि सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मौ थाने पर ही किए थे। जबकि अशोक सिंह अ0सा0-03 ने मोहित को उसके घर से गिरफ्तार करना बताया है। जिससे कि यह प्रकट होता है कि पुलिस वास्तव में ही मोहित को उसके घर से लेकर गई थी और गिरफ्तारी थाटीपुर पेट्रोल पंप की दिखा दी है और संपूर्ण कार्यवाही थाना मौ पर बैठ कर कर ली गई है और गिरफ्तारी प्र0पी0-03, धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम सहित सभी दस्तावेजों पर अशोक सिंह के हस्ताक्षर थाने पर ही करा लिए हैं। जिससे कि पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही और अभियोजन मामले संदेहास्पद हो जाता है और उक्त संदेह युक्तियुक्त है।

35. रोहित का गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-08, धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र0पी0-09 एवं जप्तीपंचनामा प्र0पी0-10 का

अध्ययन करने से स्पष्ट है कि गिरफ्तारी का समय दिनांक 08.09.2015 को सुबह 11:05 बजे का है। मेमोरेण्डम उसी दिनांक का 11:15 बजे का है तथा जप्ती 11:25 बजे की है। धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम में यह उल्लेख है कि "यह कट्टा वही है जो मेरे पास जप्त हुआ है।" अर्थात् धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम कथन या कट्टे की जानकारी के अनुसार कट्टा पूर्व में ही जप्त हो चुका था। परंतु जप्ती पंचनामा प्र0पी0-10 के अनुसार कट्टा और दो कारतूस मेमोरेण्डम कथन के दस मिनट बाद जप्त हुए हैं। इससे भी अभियोजन मामला संदेह की परिधि में आता है।

36. जप्तीपंचनामा प्र0पी0-10 का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि कट्टा और कारतूस किस विशिष्ट स्थान से जप्त किए गए उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। कट्टा मोहित के शरीर से या जेब से या उसके हाथ से जप्त हुआ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा भी उल्लेख नहीं है कि कट्टा दुकान में था या घर में था या किसी पत्थर के नीचे था या बक्से में था। ऐसी स्थिति में भी विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेह की परिधि में आती है क्योंकि अभियोजन के अनुसार ही यह स्पष्ट नहीं है कि कट्टा और दो कारतूस रोहित के आधिपत्य से किस विशिष्ट स्थान से जप्त किए गए।

37. इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनास्थल की स्थिति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 में यह तथ्य है कि... "मैं घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हूँ..." "खून निकल रहा था" ... अशोक सिंह अ0सा0-03 ने पैरा-11 में यह बताया है कि जब उसका भाई पदम सिंह घटनास्थल पर आया तब तक उस दौरान उसका खून घाव से निकलता रहा था। जिससे कि प्रकट होता है कि घटनास्थल पर काफी देर तक खून निकलना बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह संभावना निश्चित है कि घटनास्थल पर जमीन पर खून गिरेगा। कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने पैरा-10 में यह बताया है कि उसने घटनास्थल पर पहुंचने की दिनांक 31.01.14 की तारीख इसलिए लिखी है क्योंकि उक्त दिनांक को वह पहली बार मौके पर गया था। उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि वह दिनांक 31.01.14 को घटनास्थल पर निरीक्षण करने नहीं गया था।

38. कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने पैरा-10 में ही यह बताया है कि नक्शा मौका बनाने की दिनांक 07.02.14 हस्ताक्षर के नीचे लिखी है और यह स्पष्टीकरण दिया है कि कॉलम नंबर 08 में 31.01.14 की तारीख उनके द्वारा दिनांक 07.02.14 का नक्शा मौका बनाते समय अंकित की थी, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि विवेचक दिनांक 31.01.2014 को रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुंच गया था और उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उनके द्वारा ऐसा व्यक्त नहीं किया है कि घटनास्थल से कोई सादा मिट्टी या खून आलूदा मिट्टी जप्त की गई थी। घटनास्थल से कोई भी खून आलूदा मिट्टी जप्त नहीं करना प्रकट है। जांच हेतु भी कोई खून आलूदा मिट्टी आदि नहीं भेजी गई है।
39. कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-09 में यह बताया है कि जो स्थान एफ.आई.आर. कर्ता ने बताया था उस स्थान पर जाकर देखा था, लेकिन रात को उस समय कोई खून पड़ा नहीं मिला था, इस प्रकार घटनास्थल पर कोई खून पाया ही नहीं गया है, जिसके संबंध में विवेचना अधिकारी कुशलपाल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उस समय पानी बरस रहा था। नक्शा मौका प्र0पी0-06 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि दिनांक 31.01.14 को स्थल निरीक्षण के समय पानी बरस रहा था। बचाव पक्ष की ओर से अंतिम तर्क के समय यह बताया है कि उनके द्वारा इंटरनेट पर सर्चिंग की गई तो पाया कि दिनांक 31.01.14 एवं दिनांक 31.01.14 को भिण्ड जिले के किसी भी क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई थी और वर्षा का माप 0.00 एम.एम. था।
40. घटना लगभग 8-9 बजे रात्रि की होना बताई गई है। रिपोर्ट 11:15 बजे रात्रि में हुई है। रात्रि लगभग 11:30 बजे अशोक सिंह का मेडीकल परीक्षण हुआ है अर्थात् लगभग 12 बजे या उसके पश्चात रात्रि में कुशल सिंह भदौरिया का पहुंचना उनके अनुसार प्रकट होता है। इस प्रकार घटना होने के लगभग तीन-चार घण्टे पश्चात उनके अनुसार घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचना प्रकट होता है। अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह बताया है कि उसके भाई के आने तक खून लगातार बहता रहा था। अतः ऐसी स्थिति में यदि किसी स्थान पर खून बहता हुआ जाए तब दो-तीन घंटे

में ही वह थक्के के रूप में जम जाता है और बहते समय सड़क के छिद्रों में भी अंदर जाता है और यदि कच्चा रास्ता है तो मिट्टी के साथ मिल जाता है और कुछ मिट्टी के अंदर जमीन में चला जाता है। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि पानी बरसने से खून का कोई भी अंश वहां नहीं मिले। अतः ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर खून का न मिलना तथा घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी का जप्त न होना भी इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि वास्तव में उक्त घटनास्थल पर कोई घटना हुई ही न हो। वैसे भी जनवरी माह में वर्षा की संभावना न्यून ही होती है।

41. अशोक सिंह अ0सा0-03 ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उस पर तीन फायर किए, उसके अनुसार घटनास्थल पर तीन गोलियां चली हैं जिसमें से एक गोली उसे लगी थी, जो आर-पार हो गई थी। कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने ऐसा नहीं बताया है कि घटनास्थल पर चले हुए कारतूस या खोखे पड़े थे। इस मामले में नक्शा मौका प्र0पी0-06 में भी घटनास्थल पर कोई भी चले हुए कारतूस या खोखे पड़े नहीं दर्शाए हैं। अभियोजन के अनुसार ऐसा नहीं है कि घटनास्थल पर चले हुए कारतूस या खोखे पाए गए हों। कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-03 ने यह भी नहीं बताया है चले हुए कारतूसों के खोखों का ढूंढने का प्रयास किया गया हो और वे नहीं मिली हों। जिस प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर है उससे यही इंगित होता है कि कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 के मन मस्तिष्क में यह तथ्य थे कि घटनास्थल पर खोखे हैं ही नहीं। घटनास्थल पर खोखे मिलना या जप्त होना प्रमाणित नहीं है। इससे भी इस ओर संकेत मिलता है कि वास्तव में उक्त घटनास्थल पर कोई घटना नहीं हुई है।

42. इस मामले में चिकित्सीय साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एफ.एस.एल रिपोर्ट प्र0पी0-13 के अनुसार आहत अशोक सिंह के लोअर आर्टीकल ए को प्रदर्श सी-1 अंकित करते हुए परीक्षण किया गया है। उस लोअर में दाहिनी स्लीव पर ऊपर की ओर बीचों बीच गन शॉट छिद्र पाया गया है। परीक्षण पर लेड कॉर युक्त कॉपर जेकेटी बुलेट के लगने से उक्त छिद्र आना बताया है। यह अभिमत दिया गया है कि उक्त फायर नजदीक से किया गया है। डॉ0 आर0 विमलेश ने भी उक्त फायर अधिकतम तीन इंच तक की दूरी से किए जाने की संभावना व्यक्त की है। इस प्रकार तीन इंच के अंदर

की रेंज से फायर किया जाना प्रकट है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 से भी डॉ० आर विमलेश अ०सा०-11 की इस साक्ष्य की पुष्टि होती है।

43. अशोक अ०सा०-03 ने पैरा-13 में यह स्पष्ट किया है जब उसे तीसरी गोली लगी तब उसके और अभियुक्तगण के बीच की दूरी 15-20 कदम की थी। आगे उसने यह कहा है कि उसके पास ही अभियुक्तगण आ गए थे, जिसका आशय यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण लगभग-15-20 कदम उसके नजदीक आ गए थे। 15-20 कदम की दूरी लगभग 25-30 फुट की होती है। मेडीकल साईंस और तकनीकी आधार पर तथा वास्तविक रूप से अशोक की जांघ पर फायर केवल तीन इंच की दूरी के अंदर से किया गया है। अशोक अ०सा०-03 उक्त दूरी लगभग 15-20 कदम की होना बताता है, जिससे कि प्रकट हो जाता है कि वह असत्य का साक्ष्य है और उसकी इस साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से कतई नहीं हो रही है। इस प्रकार प्रकट है कि इस मामले में अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से कतई नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अभियोजन मामला संदेह की परिधि में आता है, जो कि युक्तियुक्त है।

44. अशोक सिंह अ०सा०-03 ने पैरा-11 में यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी लात घूसों से मारपीट की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-05 में भी यह उल्लेख है कि अभियुक्तगण ने अशोक की मारपीट की थी। पदम सिंह अ०सा०-05 ने भी यह बताया है कि उसके भाई अशोक ने फोन पर बताया था कि अभियुक्तगण ने अशोक के साथ मारपीट की है। परंतु मेडीकल रिपोर्ट में गनशॉट इंजरी के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं पाई गई है। इस प्रकार भी अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं हो रही है।

45. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-05 में यह तथ्य आए हैं कि अभियुक्तगण में से किसी ने जान से मारने की गरज से गोली चलाई। परंतु अशोक सिंह अ०सा०-03 ने ऐसा नहीं बताया है कि जान से मारने की गरज से गोली चलाई। पदम सिंह अ०सा०-05 ने भी ऐसा नहीं बताया है कि जान से मारने की नियत से गोली चलाई। डॉ० आर. विमलेश अ०सा०-11 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह व्यक्त किया है कि जिस जगह आहत को गोली लगी वह शरीर का मर्म स्थल नहीं है और उससे आहत की जान को

भी खतरा नहीं था, जिससे कि प्रकट होता है कि जिसने भी गोली मारी है उसका आशय अशोक सिंह को जान से मारने का नहीं था।

46. अशोक को गोली तीन इंच की दूरी से मारी गई है। प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना पकड़े अर्थात् उस दूसरे व्यक्ति को कोई अन्य न पकड़े हो तो स्वतंत्र रूप से इतने पास से मारना संभव नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है कि जब कुछ व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति को पकड़ें और पास से गोली मारी जाए। यदि आहत स्वतंत्र है तब वह निश्चित तौर पर भागने का प्रयास करेगा जिससे आहत और मारने वाले के मध्य दूरी बढ़ेगी ही। प्रस्तुत इस मामले में पहले दो फायर करना बताया गया है उसके बाद तीसरा फायर लगना बताया है अर्थात् अशोक सिंह अ0सा0-03 को यह मालूम था कि गोली चलाई जा रही है, तब ऐसी स्थिति में वह भागेगा जिससे दूरी बढ़ेगी। स्वयं अशोक सिंह अ0सा0-03 ने भी 15-20 फुट दूरी होना बताया है। परंतु वास्तविक रूप से फायर की दूरी केवल तीन इंच है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि इस प्रकार की चोट सोचे समझे षणयंत्र के तहत स्वकारित की जाए या करवाई जाए और उसके पश्चात पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाए। मामले की इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न हो गया है, जो कि युक्ति युक्त है जिसका लाभ अभियुक्त मोहित को ही दिया जाना न्यायोचित है।

47. इस मामले में अभियुक्त रोहित की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन के अनुसार गोली रोहित के द्वारा मारी गई थी, परंतु अभिलेख पर यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि गोली रोहित ने मारी थी या मोहित ने मारी थी। परंतु अभियोजन की ओर से जिस प्रकार का मामला बनाया गया है। उसके अनुसार गोली रोहित के द्वारा मारी गई थी, इसी कारण उससे कट्टा और दो कारतूस जप्त होना दर्शाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि गोली रोहित ने चलाई या नहीं और मोहित के चलाने में उसका आशय था या नहीं।

48. बचाव पक्ष की ओर से बचाव में यह आधार लिया गया है कि फरियादी अशोक का उनके यहां आना जाना था। अभियुक्तगण की बहिन को शादी का झांसा देकर अशोक ने शारीरिक संबंध स्थापित किए, बहिन अंजली के द्वारा अशोक सिंह के विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट की थी, उस

प्रकरण से बचने के लिए स्वयं या अपने सहयोगी से फायर आर्म्स की चोट स्वकारित करते हुए झूठा फंसाया गया है। घटना के समय अभियुक्त मोहित भावेश मेडीकल स्टोर गांधी रोड ग्वालियर में काम रहा था। इस आधार को बताते हुए, मोहित ब0सा0-01 ने अपनी स्वयं की साक्ष्य कराई है एवं अपनी बहिन अंजली कुशवाह ब0सा0-02 की साक्ष्य कराई है।

49. अंजली ब0सा0-02 और मोहित ब0सा0-01 ने यह बताया है कि अशोक सिंह का उनके घर पर आना जाना था और वह शादी का झांसा देकर अंजली के साथ शारीरिक शोषण करता रहा तथा अंजली के द्वारा शादी करने के लिए कहने पर शादी करने से मना कर दिया। जहां तक कि अशोक का अंजली से रिश्तेदारी का प्रश्न है, अशोक सिंह अ0सा0-03 क प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 एवं 06 तथा मुलायम अ0सा0-04 के पैरा-03 के अनुसार अशोक अंजली का सगा मामा न होकर दूर का रिश्तेदार है।

50. बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में उस धारा-376 भा0दं0सं0 के प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0डी0-03 लगायत प्र0डी0-14 प्रस्तुत किए गए हैं। जिसके अनुसार अभियुक्त मोहित की बहिन अंजली की रिपोर्ट पर से अशोक के विरुद्ध धारा-376 भा0दं0सं0 का मामला पंजीबद्ध होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि उसकी थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.02.14 है। परंतु उसमें घटना दिनांक 13.04.13 की होना बताई है।

51. बचाव पक्ष की ओर से एस.डी.ओ.पी. गोहद, महिला डी.आई.जी. ग्वालियर को 18.12.13 को अशोक के द्वारा अंजली को साथ ले जाकर छेड़ खानी करने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने आदि की शिकायत प्र0डी0-15 एवं 16 की गई है। जो कि हस्तगत प्रकरण की घटना दिनांक 30.01.2014 से पूर्व की 27.01.14 तथा 29.01.14 की है। परंतु उक्त रिपोर्ट बलात्कार के संबंध में नहीं है। प्र0डी0-17 की शिकायत 11.03.14 की है। प्र0डी0-18 की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, प्र0डी0-19 की शिकायत पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, प्र0डी0-20 की शिकायत पुलिस अधीक्षक भिण्ड की ओर की गई है।

52. प्र0डी0-18 की शिकायत दिनांक 28.07.14 एवं प्र0डी0-19 की शिकायत 21.03.14 की है। जिसमें बलात्कार किए जाने के तथ्य हैं परंतु

हस्तगत प्रकरण की घटना दिनांक 30.01.14 से पूर्व की बलात्कार संबंधी कोई शिकायत नहीं है। परंतु फिर भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई उभयपक्ष की साक्ष्य से ऐसा प्रकट है कि उभयपक्ष के मध्य कुछ न कुछ विवाद रहा है चाहे वह अशोक के द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने का हो या अन्य कोई विवाद हो जिसके कारण इस प्रकरण की उत्पत्ति हुई है और वह उत्पत्ति चाहे अभियुक्तगण के कारण हुई हो या फरियादी अशोक के द्वारा कराई गई हो। परंतु उपरोक्त विवेचना के अनुसार अभियोजन मामले में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है।

53. इस मामले में अभियुक्त मोहित को दिनांक 10.07.15 को अर्थात् लगभग एक वर्ष 06 माह बाद और अभियुक्त रोहित को दिनांक 08.09.15 को अर्थात् लगभग एक वर्ष आठ माह पश्चात् गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल का नक्शा मौका तुरंत न बनाया जाकर घटना के सात दिन बाद दिनांक 07.02.14 का बनाया गया है। इन परिस्थितियों में अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न होता है, जो कि युक्तियुक्त है।

54. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त मोहित के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से पर प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त मोहित ने दिनांक 30.01.14 शाम लगभग 8-9 बजे भंडेरी घमूरी के बीच मौ मेहगांव रोड अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड में सहअभियुक्त रोहित के साथ मिलकर अशोक की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण रोहित एवं मोहित ने या उनमें से किसी ने अशोक सिंह पर अग्न्यायुध से फायर कर उसे उपहति कारित की, जिससे कि अशोक सिंह की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त रोहित या मोहित या दोनों हत्या के दोषी होते।

55. फलस्वरूप अभियुक्त मोहित को भा0दं0सं0 की धारा-307 सहपठित 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

56. अभियुक्त रोहित पुत्र विजय सिंह की फौती रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 06.10.17 को उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

57. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी जिला

भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

58. अभियुक्त मोहित को दिनांक 10.07.15 को गिरफ्तार किया गया है और उसे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश के पालन में दिनांक 12.12.15 को रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 166 दिवस निरोध में रहा है। अतः उसके द्वारा न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

59. धारा-365 दं0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड